

# संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

28-ए, विजया राजे वात्सल्य भवन प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल

फोन 0755 - 2550909 फ़ैक्स 0755 - 2550912

Email : commwcd@mp.nic.in Website www.mpwcd.nic.in

क्रमांक / अबामि / 2019 / 223

भोपाल, दिनांक: 08/05/2019

प्रति,

1. डॉ नितिन राज  
राज्य प्रतिनिधि, CHAI
2. सुश्री प्रतिभा श्रीवास्तव  
राज्य प्रतिनिधि, WHH
3. सुश्री माधवी पाण्डेय  
राज्य पोषण समन्वयक - पिरामल फाउंडेशन
4. डॉ समीर माणिकराव पँवार  
पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ़
5. सुश्री मानसी शेखर  
राज्य प्रतिनिधि, NI
6. श्री हरवीन सिंह जौहर  
स्टेट लीड - स्वास्थ्य भारत प्रेरक, टाटा ट्रस्ट

**विषय:-03 से 06 वर्ष के बच्चों को सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत संलग्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील प्रदाय व्यवस्था/सेवा के मूल्यांकन बाबत।**

—0—

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल में दिनांक 19 जनवरी 2019 को सांझा-चूल्हा व्यवस्था के मूल्यांकन के संबंध में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में से रेण्डम आधार पर आंगनवाड़ियों का चयन कर पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर समूहों के माध्यम से वितरित किये जा रहे नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील प्रदाय व्यवस्था/सेवाओं का मूल्यांकन प्रदेश में विभाग की सहयोगी संस्थाएं यथा NI, CHAI, UNICEF, PIRAMAL, WHH एवं Tata Trust (Development Partners) के माध्यम से कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सांझा चूल्हा व्यवस्था/शहरी क्षेत्रों में समूहों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जा रहे नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील के मांग अनुरूप नियमित एवं निर्धारित मात्रा में वितरण, पूरक आहार की गुणवत्ता, पूरक आहार तैयार करने में आवश्यक खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता, पूरक आहार वितरण कार्य में संलग्न समूहों की दक्षता एवं कार्यक्षमता तथा FSSAI अंतर्गत समूहों के पंजीयन/लाइसेंस इत्यादि समग्र तकनीकी/व्यावहारिक पहलुओं पर संलग्न मूल्यांकन प्रपत्रों (01, 02) में उल्लेखित बिन्दुओं पर मूल्यांकन का कार्य किया जावेगा।



सांझा-चूल्हा व्यवस्था के मूल्यांकन' संबंधी कार्य के लिये जिलों में डाटा कलेक्शन के कार्य हेतु सहयोगी संस्थाओं प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत निम्न तालिका अनुसार जिले आवंटित किये जाते हैं:-


क्रमांक	संभाग	जिला	स्वीकृत परियोजना	कुल सर्वे में सम्मिलित आंगनवाड़ी की संख्या	सहयोगी संस्था का नाम
1	ग्वालियर	ग्वालियर	10	20	CHAI
2	होशंगाबाद	हरदा	5	10	CHAI
3	इंदौर	अलीराजपुर	6	12	CHAI
4	जबलपुर	नडला	9	18	CHAI
5	जबलपुर	नर्सिंहपुर	6	12	CHAI
6	रीवा	सतना	14	28	CHAI
7	रीवा	सीधी	7	14	CHAI
8	सागर	पन्ना	6	12	CHAI
9	रीवा	रीवा	15	30	CHAI
10	शहडोल	अन्तुपुर	4	8	CHAI
11	चम्बल	प्योपुर	6	12	WHH
12	सागर	छतापर	13	26	WHH
13	भोपाल	सिहोर	9	18	NI
14	ग्वालियर	अशोकनगर	5	10	NI
15	होशंगाबाद	बतल	12	24	NI
16	जबलपुर	बालाघाट	11	22	NI
17	उज्जैन	आगर	4	8	NI
18	उज्जैन	भदसौर	9	18	NI
19	उज्जैन	नीमच	6	12	NI
20	उज्जैन	रदलाम	10	20	NI
21	उज्जैन	उज्जैन	14	28	NI
22	भोपाल	रायसन	7	14	NI
23	भोपाल	विदिशा	9	18	PIRAMAL
24	इंदौर	बडवानी	8	16	PIRAMAL
25	इंदौर	खडवा	8	16	PIRAMAL
26	रीवा	सिंगरोली	6	12	PIRAMAL
27	सागर	दमोह	8	16	PIRAMAL
28	चम्बल	भिण्ड	10	20	UNICEF
29	होशंगाबाद	होशंगाबाद	9	18	UNICEF
30	इंदौर	इंदौर	15	30	UNICEF
31	जबलपुर	सिवनी	11	22	UNICEF
32	सागर	सागर	16	32	UNICEF
33	शहडोल	शहडोल	6	12	UNICEF
34	भोपाल	राजगढ़	10	20	Tata trust
35	इंदौर	धार	16	32	Tata trust
36	चम्बल	भुरैना	11	22	Tata trust
37	ग्वालियर	दतिया	6	12	Tata trust
38	ग्वालियर	शिवपुरी	9	18	Tata trust
39	इंदौर	बुरहानपुर	6	12	Tata trust
40	इंदौर	झाबुआ	6	12	Tata trust
41	जबलपुर	छिंदवाडा	14	28	Tata trust
42	जबलपुर	डिंडोरी	7	14	Tata trust

43	जबलपर	जबलपर	13	26	Tata trust
44	जबलपर	कटनी	7	14	Tata trust
45	सागर	टीकमगढ़	8	16	Tata trust
46	शहडोल	उमरिया	4	8	Tata trust
47	उज्जैन	दवास	9	18	Tata trust
48	उज्जैन	शाजापर	6	12	Tata trust
49	भोपाल	भोपाल	10	20	Tata trust
50	ग्वालियर	गुना	6	12	Tata trust
51	इंदौर	खरगोन	11	22	Tata trust

उपरोक्तानुसार सभी सहयोगी संस्थाएं उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिलों के अंतर्गत संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजनाओं में से शहरी परियोजना/शहरी क्षेत्र (परियोजना मुख्यालय के निकट) के एक आंगनवाड़ी केन्द्र का एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित एक आंगनवाड़ी केन्द्र का रेण्डम आधार पर चयन कर, इस चयनित आंगनवाड़ी केन्द्र के संबंध में संलग्न प्रपत्रों (01 एवं 02) के अनुरूप डाटा कलेक्शन का कार्य पूर्ण करेंगे।

**"सांझा-चूल्हा व्यवस्था के मूल्यांकन"** अंतर्गत सांझा चूल्हा/स्व-सहायता समूह के सदस्यों से एवं हितग्राहियों से साक्षात्कार, प्रश्न-उत्तर प्रक्रिया अपनाई जावेगी तथा तत्संबंध में आंगनवाड़ी केन्द्र/किचन शेड इत्यादि स्थानों का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन भी किया जावे। यह संपूर्ण प्रक्रिया पत्र के संलग्न प्रपत्रों क्रमशः सांझा-चूल्हा/स्व-सहायता समूह से साक्षात्कार प्रश्नावली पत्रक-01 एवं रसोई-घर अवलोकन पत्रक-02 में उल्लेखित विवरण अनुरूप निष्पादित की जावें। सांझा-चूल्हा व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु फील्ड से डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 23 मई 2019 तक संपन्न किया जाना है। अतः कृपया नियत समय-सीमा में सांझा-चूल्हा व्यवस्था के मूल्यांकन का कार्य को निष्पादित करने के लिये यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्न- प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02**

  
(एम.बी.ओ.सांझा)  
आयुक्त


महिला एवं बाल विकास विभाग  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अबामि//2019/204

भोपाल, दिनांक 08/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग-समस्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-समस्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, जिला-समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
आयुक्त  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मध्यप्रदेश

## साँझा-चूल्हा/स्वयं सहायता समूह के लिए साक्षात्कार प्रपत्र

सामान्य जानकारी क्षेत्र सम्बन्धी				
जिले का नाम	ब्लाक / तहसील का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	आंगनवाडी केंद्र
साँझा-चूल्हा/ एस.एच.जी. (समूह) का नाम और पता	साक्षात्कार का दिनांक ___/___/___		प्रारंभ समय	समाप्ति समय

समूह से संबन्धित जानकारी											
1.	समूह द्वारा कुल कितने केन्द्रों/स्कूलों को भोजन प्रदाय किया जाता है?						आंगनवाडी/ मिनी केंद्र ..... स्कूल: .....				
2.	साँझा चूल्हा/समूह में कुल कितने सदस्य हैं (अध्यक्ष एवं सचिव समेत)? कृपया लिंग व जातिवार विवरण दें।			कुल संख्या:	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	सामान्य	अन्य	कुल पुरुष सदस्य	कुल महिला सदस्य
3.	क्या समूह में अध्यक्ष या सचिव के रिश्तेदार/घर से जुड़े सदस्य शामिल हैं						(1) हाँ..... (2) नहीं .....				
4.	साँझा-चूल्हा/ समूह के अंतर्गत कितने रसोइए हैं?						रसोइए की संख्या : .....				
5.	संखा चूल्हा/ समूह का गठन किस व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है- विभागीय स्व. सहा. समूह/MDM/ अन्य (उल्लेख करें)						(1) विभागीय स्व. सहा. समूह: ..... (2) MDM: ..... (3) अन्य (उल्लेख करें): .....				
6.	समूह द्वारा कुल कितने हितग्राहियों को नाश्ता/भोजन प्रदाय किया जा रहा है? कृपया विस्तार से हितग्राहियों की जातिवार संख्या की जानकारी दें				3 वर्ष से 6 वर्ष के सभी आंगनवाडियों में कुल बच्चों की संख्या : .....			सभी स्कूलों में कुल बच्चों की संख्या : .....			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	सामान्य	अन्य		
7.	क्या समूह का FSSAI से पंजीयन/लाइसेन्स हुआ है?						(1) हाँ..... (2) नहीं .....				
8.	यदि हाँ तो FSSAI से पंजीयन का दिनांक व लाइसेन्स नंबर नोट करें।						दिनांक: ..... लाइसेन्स नंबर: .....				
9.	क्या साँझा चूल्हा/ समूह स्थानीय आंगनवाडी/शालाओं के अल्वा दुरस्त केन्द्रों/शालों में भी नाश्ता/भोजन उपलब्ध करते हैं?						(1) हाँ..... (2) नहीं .....				
10.	आंगनवाडी केन्द्रों पर भोजन वितरित करने के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग करते हैं?						.....				
11.	साँझा चूल्हा/समूह के कितने सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है? यदि प्रशिक्षण हुआ है तो कितनेमाह पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया गया?						सदस्यों की संख्या: ..... माह की संख्या: .....				
12.	औसतन साँझा चूल्हा/समूह द्वारा प्रतिदिन कितने हितग्राहियों हेतु नाश्ता व भोजन तयार किया जाता है?						औसत संख्या: .....				
13.	रसोई में खाना बनाने हेतु किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है						एल.पी.जी/किरोसिन स्टोव/लकड़ी या कंडे: .....				
14.	साँझा चूल्हा/समूह द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर क्या-क्या प्रदाय किया जाता है एवं कितने अवधी से प्रदाय किया जा रहा?				भोजन का प्रकार	नाश्ता	दोपहर गरम पका भोजन	थर्ड मील			
					समय						
15.	रसोईघर से सबसे दूर आंगनवाडी केंद्र की दूरी कितनी है?						..... (km में)				
16.	सबसे ज्यादा दूर वाले आंगनवाडी केन्द्रों को खाना देने में कितना समय (अवधि) लगता है?						..... : ..... (hh:mm)				
17.	जब रसोइए अनुपस्थित होते हैं तो भोजन कौन बनाता है?						.....				
18.	रसोइये की अनुपस्थित रहने के कारण पूर्व माह में कितने दिन भोजन प्रदाय नहीं किया गया?						.....				
19.	क्या आपको केन्द्रों में दिये जाने वाले भोजन के मेनू की जानकारी है? यदि है, तो बताएं?						(1) हाँ..... (2) नहीं .....				
20.	सुबह के नाश्ता का मेनू		दोपहर के भोजन का मेनू			थर्डमील का मेनू					
21.	भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री गेहूं, चावल, दालों आदि एवं ईंधन की खरीद कहाँ से की जाती है?				(1) सरकारी उचित मूल्य की दुकान (2) खुदरा / निजी दुकान (3) अन्य : .....						
22.	भोजन तैयार करने के लिए आप किस तरह के नमक का उपयोग करते हैं?				(1) डबल फोर्टीफाइड (2) आयोडीन युक्त (3) खडानमक : .....						
23.	भोजन में उपयोग किये जाने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता क्या थी ?				(1) सील पैक 'एम मार्क' तेल (2) खुला तौला हुआ तेल: .....						
24.	आपका समूह कितने अंतराल पर कच्ची सामग्री खरीदता है?				(1) प्रति माह (2) अवश्यकता अनुसार : .....						
25.	इस कच्ची सामग्री का भण्डारण कहाँ करते हैं?				(1) किचन में (2) घर पर (3) अन्य : .....						
26.	रसोई में पानी की उपलब्धता का स्रोत क्या है?				(1) ट्यूबवेल/ हैण्ड पंप (2) कुआँ (3) अन्य : .....						
27.	खाना पकाने एवं परोसने / वितरण के बर्तन धोने के लिए क्या सामग्री प्रयोग किया जाता है?				(1) मिट्टी / राख (2) साबुन / पाउडर/लिक्रिड : .....						

28.	भोजन बनने से पहले कुल हितग्राही संख्या की जानकारी कब मिलती है?	(1) उसी दिन कार्यकर्ता द्वारा (2) अन्य : .....					
29.	हितग्राही के संख्या की जानकारी किस रूप में मिलती है? (लिखित में रखे पूर्व के रिकॉर्ड को मांग कर देखे )	(1) मौखिक (2) लिखित में : .....					
30.	पिछले महीने आपके साँझा-चूल्हा/ समूह ने कितने दिन भोजन प्रदान किया?	दिनों की संख्या: .....					
31.	आंगनवाडी केन्द्रों में भोजन प्रति दिन कब तक पहुंचाया जाता है? (समय लिखें)	नाश्ता ___:___ दोपहर का भोजन ___:___ थर्डमील ___:___					
32.	प्रतिदिन सभी आंगनवाडी केन्द्रों पर भोजन सप्लाई पूरी करने में कुल कितना समय लग जाता है? (अवधि लिखें)	_____ hh:mm					
33.	क्या आप आंगनवाडी केन्द्रों में भोजन वितरण के सत्यापन के बाद आंगनवाडी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लेते हैं?	(1) हाँ..... (2) नहीं .....					
<b>समूह के भुगतान से संबंधित जानकारी</b>							
34.	क्या समूह को नियमित रूप से भुगतान मिलता है? यदि नहीं तो अनियमितता का कारण क्या है?	(1) हाँ (2) नहीं (यदि नहीं तो कारण): .....					
35.	समूह को किए गए भुगतान की आवृत्ति क्या है?	(1) प्रति माह (2) अन्य : .....					
36.	समूह को को पिछला भुगतान कब और किस अवधि के लिए किया गया था?	माह: ..... अवधि: .....					
37.	भुगतान के लिए बिल के अलावा आप कौन से दस्तावेज भेजते थे ?	(1) भोजन पत्रक (2) त्रैमासिक अधिकार पत्र (3) अन्य : .....					
38.	क्या आप सेवा प्रदान करने में कमी के एवज में भुगतान की कटौती से अवगत हैं ?	(1) हाँ..... (2) नहीं .....					
39.	क्या पिछले 6 माह में समूह के भुगतान में कटौती की गयी है?	(1) हाँ..... (2) नहीं .....					
40.	आपके अनुसार प्रतिदिन कितने बच्चों को भोजन प्रदाय करने पर यह कार्य आपके समूह के लिए लाभप्रद रहेगा?	.....					
41.	भुगतान प्राप्त करने में किन विशिष्ट चुनौतियों सामना करना पड़ता है?	..... .....					
42.	क्या किसी ने पिछले 6 महीनों में रसोईघर का दौरा किया है?	(1) हाँ..... (2) नहीं .....					
43.	पिछले 6 महीनों में आपके अनुसार कौन-कौन भ्रमण करने आये है	(1) जिला अधिकारी (2) परियोजना अधिकारी (3) सुपरवाइजर (4) अन्य : .....					
44.	भ्रमण के दौरान कोई कार्यवाही किया गया यदि हाँ तो विवरण दे।	..... ..... .....					
45.	समूह द्वारा भोजन प्रदाय करने में कौन-कौन सी मुश्किलें / चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?	..... ..... .....					
46.	क्या आपके पास कार्यक्रम में सुधार हेतु कोई सुझाव है?	..... ..... .....					
47.	आपने पिछले माह आंगनवाडी केन्द्रों में कितने लाभार्थियों को सेवा प्रदान किया?	आंगनवाडी केंद्र का नाम	गर्भवती महिलाओं की संख्या	धাত্রी महिलाओं की संख्या	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या	कुल अति कम वजन के बच्चों की संख्या	
48.	औसतन प्रतिमाह कितने राशि का बचत/लाभांश होता है	रु. .... /-					

49.	क्या सांझा चूल्हा/समूह से लाभार्थियों को सेवाएँ प्रदान करने में कोई ऐसी चुनौतियां हैं जो आपने अब तक नहीं बताया है? यदि हैं तो इन समस्याओं का उल्लेख करें।	..... ..... .....
50.	क्या आप को लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में सांझा चूल्हा/समूह सभी हितग्राहियों को संतोषजनक तरीके से सेवाएँ देने में सक्षम है?	(1) हाँ..... (2) नहीं .....
51.	यदि नहीं, तो किन कारणों से आप महसूस करते हैं कि सांझा चूल्हा/समूह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है? उल्लेख करें।	..... ..... .....
52.	आपके अनुसार सांझा चूल्हा/ समूह व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु कोई सुझाव हो तो बताएं। स्पष्ट करें कि विभिन्न पहलुओं में किन बदलावों से सेवाओं में सुधार लाया जा सकता है?	..... ..... .....

मैं आपको अपना समय देने के लिए धन्यवाद करता/करती हूँ।

!!! समाप्त !!!

सर्वेकर्ता का नाम : ..... पद: ..... विभाग / संस्था: .....

मोबाईल नंबर : ..... सर्वेकर्ता के हस्ताक्षर : .....

## रसोई / किचन शेड के अवलोकन हेतु पत्रक

सामान्य जानकारी क्षेत्र सम्बन्धी				
जिले का नाम	ब्लाक / तहसील का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	आंगनवाड़ी केंद्र
साँझा-चूल्हा/ एस.एच.जी. (समूह) का नाम और पता		साक्षात्कार का दिनांक	रिकॉर्ड प्रारंभ समय	
		___/___/___	रिकॉर्ड समाप्ति समय	

समूह से संबन्धित जानकारी/विवरण		
1.	<b>रसोई की सफाईकी जानकारी-</b> साक्षात्कारकर्ता के लिए नोट: कृपया खाना पकाने, बर्तन धुलाई और भंडारण की जगह सहित रसोई घर का निरीक्षण करें <b>अच्छी सफाई:</b> पूरी तरह स्वच्छ और चमकदार फर्श, फर्श पर बैठ सकें <b>मध्यम सफाई:</b> कोई फफूंद नहीं है, कुछ धूल को देखा जा सकता है, फर्श पर नहीं बैठ सकते। <b>गंदा:</b> गन्दगी, फफूंद, कचरा, जाले	अच्छी सफाई .....1 मध्यम सफाई .....2 गंदा .....3
2.	क्या रसोई क्षेत्र सूखा है?	सूखा / नमीयुक्त : .....
3.	क्या रसोई घर में पर्याप्त रोशनी है? रोशनी की क्या व्यवस्था है?	पर्याप्त रोशनी/ अपर्याप्त: ..... रोशनदान/ बल्ब/ ट्यूबलाइट/अन्य: .....
4.	क्या किचन में भण्डारण की जगह है?	हाँ / नहीं : .....
5.	रसोई में खाना बनाने हेतु किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है?	एल.पी.जी./केरोसिन तेल स्टोव/लकड़ी या कंडे: .....
6.	किचन में संग्रहीत की जाने वाली सामग्री	गेहूं /आटा/चावल/दालें/तेल/सब्जियां/तेल/नमक ..... अन्य कोई (कृपया उल्लेखित करें) .....
7.	क्या खाद्य पदार्थ ठीक से संग्रहीत किया गया हैं? <b>हाँ -</b> (हवा बंद और बिना छेद वाला डिब्बा में हो, फर्श से ऊपर हो, कोई संक्रमण न हो और कोई नमी न हो)	हाँ / नहीं : .....
8.	निरीक्षण के समय भंडार में उपलब्ध खराब खाद्य सामग्री का विवरण	खराब सामग्री का नाम एवं विवरण - ..... .....
9.	क्या खाना पकाने के पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन की उपलब्धता है?	हाँ / नहीं : .....
10.	क्या खाना पकाने वाले बर्तन साफ पाए गए है?	हाँ / नहीं : .....
11.	क्या बर्तनों को धोने के लिए पानी की उपलब्धता है?	हाँ / नहीं : .....
12.	बर्तन धोने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?	साबुन/पाउडर/लिक्रिड/राख:.....
13.	पकाने के बाद भोजन का रख रखाव कैसा है?	ढंका हुआ/ खुला हुआ : .....
14.	नमक का प्रकार जो प्रयोग किया जाता है:	डबल फोर्टिफाइड/आयोडीन युक्त/खड़ानमक : .....
15.	क्या तेल 'एग मार्क चिह्नित' है?	हाँ / नहीं : .....
16.	क्या रसोईघर में मेनू को दीवार पर प्रदर्शित किया गया है?	हाँ/उपलब्ध नहीं है/उपलब्ध है किन्तु प्रदर्शित नहीं : .....
17.	खाना पकाने के लिए पानी के किस स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है ?	ट्यूबवेल/हैण्ड पंप/ कुआ/अन्य: .....
18.	क्या आंगनवाड़ी पर भोजन प्रदाय करते समय भोजन तौला जाता है?	हाँ / नहीं : .....
19.	भ्रमण दिवस तैयार किए गए भोजन के गुणवत्ता की जांच करें एवं गुणवत्ता पर टीप दें।	..... .....
20.	समूह के भोजन/नाश्ता प्रदाय के संबंध में हितग्राही परिवारों के विचार (कम से कम 5 परिवारों से चर्चा उपरांत टीप दें)	..... .....

मैं आपको समय देने के लिए धन्यवाद करता/करती हूँ।

!!! समाप्त !!!

सर्वेकर्ता का नाम : ..... पद: ..... विभाग / संस्था: .....

मोबाईल नंबर : .....

सर्वेकर्ता के हस्ताक्षर: .....